हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

तेरहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 123

वीरवार, 19 नवम्बर, 2026/28 कार्तिक, 1948(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

बैठक की कार्यवाही आरम्भ होते ही **माननीय मुख्य मंत्री** ने सदन से आग्रह किया कि आज की कार्यसूची में बहुत ही महत्वपूर्ण 13 बिल पुर:स्थापना हेतु लगे हैं अगर मान्य सदन की अनुमति हो तो उन्हें स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व पुर:स्थापित कर लिया जाए ताकि उन्हें समय पर विपक्ष के माननीय सदस्य को स्टडी करने हेतु सर्कुलेट किया जा सके।

इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए **माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर** ने कहा कि एक स्थापित व्यवस्था के अनुरूप ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जब नियम-67 के अंतर्गत विषय चर्चा के लिए इन प्रोग्रैस है तो उसके अलावा अन्य कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं करना चाहिए। नियम-67 के अंतर्गत जिस विषय पर पहले से चर्चा चल रही है उसको ही पूर्ण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र जोगिन्द्रनगर की सब-तहसील लड़भड़ोल में एक एक्सीडेंट में छ: बच्चों की दुखद मृत्यु पर विपक्ष की ओर से संवेदनाएं प्रकट करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दे।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान ने भी माननीय मुख्य मंत्री की बात का समर्थन करते हुए कहा कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व आज की कार्यसूची में पुर:स्थापना हेतु लगे हुए बिल्स को पुर:स्थापित करने की मान्य सदन अनुमति दे जोकि प्रदेश हित से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पारित करने से तीन दिन पूर्व इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि समय पर विपक्ष के सदस्यों को सर्कुलेट करके उन्हें स्टडी करने का मौका दिया जा सके और चर्चा उपरांत उन्हें पारित किया जा सके।

इस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि वैसे तो यह धक्का है और चार वर्ष सरकार ने ऐसे ही निकाल दिए। लेकिन फिर भी जब मुख्य मंत्री जी ने प्रार्थना शब्द

इस्तेमाल किया है तो वह प्रार्थना स्वीकार की जाती है, वे बिल पुर:स्थापित सकते हैं लेकिन व्यवस्था अपनी जगह रहनी चाहिए।

मान्य सदन की सहमति और दोनों पक्षों की राय से माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची में वर्णित कुछेक शासकीय कार्यों को टेक अप किया जोकि इस प्रकार हैं:-

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य :

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

4. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर:

सचिव, विधान सभा ने निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

(1) शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 16);

(2) भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 17);

(3) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 19); और

(4) हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 20)।

6. कागज़ात सभा पटल पर :

(1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:

(i) हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 61) की धारा 78 के साथ पठित धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)8/2021-वॉल-I, दिनांक द्वारा 16.07.2026

को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 23.07.2026 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का अधिनियम संख्यांक 61) की धारा 78 के साथ पठित धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ (10)8/2021-वॉल्यूम-II, दिनांक द्वारा 20.08.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 26.08.2026 को प्रकाशित; और

(iii) हिमाचल प्रदेश लॉटरी (विनियमन) अधिनियम 1998 (1998 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 17) की धारा 12 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: टीएएल-एलओएलएफ 01/14/1/2023-136611-लूज़, दिनांक द्वारा 04.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 04.06.2026 को प्रकाशित।

(iv) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक लेखें, वर्ष 2021-22 और 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्य मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री** ने हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 29 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पीर निगाह मन्दिर, तहसील एवं जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश जोकि अधिसूचना संख्या: एल0सी0डी0-बी (15)-13/2026, दिनांक 14.10.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.10.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग (ग्रुप-बी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या:ई.डी.एन-बी-बी(16)-9/2021, दिनांक द्वारा 07.10.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 09.10.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24; और

(ii) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवम् अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24।

(5) **श्री यादविन्द्र गोमा, आयुष मन्त्री** ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026 तक) की प्रति सभा पटल पर रखी।

7. सदन की समिति के प्रतिवेदन:

(1) **श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2026-27)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी:-

(1) समिति का **53वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP)** के अन्तर्गत **जल शक्ति विभाग** द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों/योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **54वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक प्रदेश सरकार तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को आबंटित धनराशि के आय/व्यय के ब्यौरे की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है।

(3) समिति का **55वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति का **दशम् मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-

24) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **"मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना"** की संवीक्षा पर आधारित है; और

(4) समिति का **56वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति का **22वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2024-25 में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **"स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना"** की संवीक्षा पर आधारित है।

(2) **श्री संजय अवस्थी, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2026-27)** ने समिति का **38वां कार्रवाई प्रतिवेदन,** जोकि **माँग संख्या: 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित **समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **है,** की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी।

8. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री सुख राम चौधरी, सदस्य ने कार्य-सलाहकार समिति का 18वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा उसे अंगीकार करने हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

9. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) पुर:स्थापित हुआ।

(2) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) पुर:स्थापित हुआ।

(3) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) पुर:स्थापित हुआ।

(4) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) पुर:स्थापित हुआ।

(5) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) पुर:स्थापित हुआ।

(6) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) पुर:स्थापित हुआ।

(7) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) पुर:स्थापित हुआ।

(8) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24) पुर:स्थापित हुआ।

(9) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) पुर:स्थापित हुआ।

(10) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 23) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 23) पुर:स्थापित हुआ।

(11) श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) पुर:स्थापित हुआ।

(12) श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) पुर:स्थापित हुआ।

(13) **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री यादविन्द्र गोमा, आयुष मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) पुर:स्थापित हुआ।

माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज ने माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में विषय लाया कि उन्हें प्रदेश के बहुत सारे बच्चों की ओर से कॉल आए हैं कि प्रदेश में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें कई परीक्षाओं की डेट्स आपस में क्लैश हो रही हैं जिसका माननीय मुख्य मंत्री कोई-न-कोई समाधान निकालें क्योंकि यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है।

इस पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्य ने उनके ध्यान में लाया है, इसके बारे में पूर्ण स्टडी की जाएगी और जहां भी सम्भव होगा उन एग्जाम डेट्स को एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी।

माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की दो बच्चियों के घुमारवीं पुल से छलांग लगाकर जान देने का मामला मान्य सदन के सदन में लाया और माननीय मुख्य मंत्री से इस मामले में प्रॉपर छानबीन करके दोषियों को सख्त-से-सख्त सज़ा दिलाने का आग्रह किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने उक्त मामले की वस्तुस्थिति के बारे में मान्य सदन को अवगत करवाया और कहा कि इसमें सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यह बच्चों और बेटियों का मामला है तथा सरकार महिलाओं से संबंधित मामलों को बहुत गंभीरता से लेती है। वे आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि जल्द ही सारी डिटेल प्राप्त होने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य के पास भी यदि कोई सूचना हो तो उसे प्रेषित कर सकते हैं। उसकी भी जांच करवाई जाएगी तथा सरकार अपने स्तर पर इस मामले की पूरी जांच करेगी।

माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल ने आग्रह किया कि इस इंक्वायरी को बरमाणा पुलिस थाने के तहत न रखा जाए क्योंकि यह वही थाना है जहां मुख्य मंत्री जी ने जब वॉकथॉन की थी तो उस दौरान चिट्टे के कारोबारियों के खिलाफ आवाज उठाने पर इस थाने के एस0एच0ओ0 ने महिला मंडलों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की थी। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री ने एफ0आई0आर0 विड्रॉ करने के निर्देश दिए थे, जिसके लिए वे उनका धन्यवाद करते हैं। उस एस0एच0ओ0 को 15 दिन के लिए बदला भी गया था लेकिन बाद में उसी एस0एच0ओ0 को दोबारा उसी थाने में तैनात कर दिया गया। ऐसी स्थिति में वहां निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है। माननीय मुख्य मंत्री जी से वे इतना आश्वासन चाहते हैं कि या तो एस0एच0ओ0 को बदला जाए या इस मामले की इंक्वायरी किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाए।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने भी माननीय सदस्य की बात का समर्थन किया और कहा कि दसवीं कक्षा में पढ़ रही दो बच्चियों की जान जाना बहुत ही गंभीर विषय है। इसलिए इस मामले की इन्वेस्टिगेशन किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए या इसमें एस0आई0टी0 का गठन किया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन ठीक प्रकार से आगे बढ़े और प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके।

इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से दो बेटियों ने अपनी जिंदगी खोई है और उनकी सरकार इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से सुझाव आया है कि एस0एच0ओ0 के अलावा किसी अन्य सीनियर ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाए। इस दृष्टिकोण से वे डी0जी0पी0 को कहकर इस केस के लिए विशेष तौर पर किसी सीनियर ऑफिसर की ड्यूटी लगाएंगे और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी।

5. नियम-67 के अन्तर्गत दिनांक 17.11.2026 को प्रस्तुत निम्न स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा:

"आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के शासन में बिकता हिमाचल - 'Himachal on sale' पर यह सदन अविलंभ चर्चा करे।"

निम्नलिखित ने प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा में भाग लिया:-

1. **श्री केवल सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक (क्रमागत)**

(12.02 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दिनांक 11 दिसंबर, 2022 को श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने मुख्य मंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय भाजपा सत्ता से बाहर थी। दिनांक 23 दिसंबर, 2022 को पेपर लीक हुआ और पोस्ट कोड नं0 965 की भर्ती को बाद में रद्द कर दिया गया। वह क्राइम भी आपके कार्यकाल में हुआ था। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी उसके बाद की जिम्मेदारी भी माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर डालना चाहते हैं जोकि उचित नहीं है। आज नियम-67 के अंतर्गत चर्चा का विषय 'हिमाचल ऑन सेल' है इसलिए माननीय सदस्य इस विषय पर ही बोलें।

2. **श्री राकेश जम्वाल, माननीय सदस्य**
3. **श्री संजय अवस्थी, माननीय सदस्य**
4. **श्री त्रिलोक जम्वाल, माननीय सदस्य**

अध्यक्षपीठ द्वारा व्यवस्था

"माननीय सदस्य, नियम-67 के अंतर्गत विषय हिमाचल सरकार के विरुद्ध लाया गया है, करप्शन के ऊपर लाया गया है, आप सिर्फ उस पर ही बात करें।"

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियम-67 में चर्चा प्रदेश सरकार के खिलाफ हो रही है जबकि माननीय सदस्य पूर्व यू.पी.ए. सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। इनको जानकारी नहीं होगी कि टू-जी स्पेक्ट्रम में केस डिसमिस हो गया है। Nothing has been found wrong. It is the judgment of the court. इसलिए माननीय सदस्य नियम-67 में हो रही चर्चा के विषय पर ही बोलें।

माननीय कृषि मंत्री ने भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात का समर्थन करते हुए माननीय सदस्य को नियम-67 के संदर्भ में दिए गए विषय पर ही बोलने की नसीहत दी क्योंकि जिस स्पैक्ट्रम की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं जब वह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो साबित नहीं हुआ था। उस व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ी और उसने स्वयं स्वीकार किया कि उसने गलत बोला था।

सभापति महोदय ने माननीय सदस्य द्वारा धारा-118 के संबंध में सरकार द्वारा प्रॅपोज्ड संशोधन के विषय पर बोलने पर कहा कि जब उस बिल को ले किया गया और उस पर आपत्तियां दर्ज हुई थीं तो उसके बाद ही सिलेक्ट कमेटी का गठन किया गया था। अब सिलेक्ट कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद ही बिल को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जायेगा। इसलिए माननीय सदस्य नियम-67 के अंतर्गत दिए गए विषय पर ही बोलें।

(1.18 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.20 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरांत 2.25 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक माननीय सभापति श्री संजय रत्न की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

निम्नलिखित ने प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा में भाग लिया:-

5. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, माननीय सदस्य

माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुका है। क्या उन्हें भी डूबती नैया में बैठना था? वे कांग्रेस के नेता या कांग्रेस पार्टी की वजह से विधायक नहीं बने हैं। न वर्ष 2012, न वर्ष 2017 और न ही वर्ष 2022 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बने हैं। वे वर्ष 2012 में भी निर्दलीय विधायक बने थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार को चलाने के लिए समर्थन दिया था। इसके बदले में उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करवाए थे।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में विवेक की कमी हो गई है। पिछले कल माननीय राजस्व मंत्री द्वारा सदन में एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी देश की सेना के संबंध में की गई है जोकि रिकॉर्ड का हिस्सा है। सभापति महोदय से निवेदन है कि उस टिप्पणी को तुरंत कार्यवाही के रिकॉर्ड से निकाला जाए क्योंकि इसको लेकर बहुत नाराजगी और गुस्सा है। शायद भावावेश में आकर यह बात कही गई हो, लेकिन यदि जानबूझकर ऐसा कहा गया है तो इसके लिए मंत्री महोदय को माफी मांगनी चाहिए। यदि भावावेश में इनके मुंह से ऐसे शब्द निकल गए हैं तो वे रिकॉर्ड का पार्ट नहीं होने चाहिएं।

माननीय राजस्व मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष से इस किस्म के वक्तव्य की उम्मीद नहीं थी। इन्होंने जिस तरह का वक्तव्य दिया है वह उचित नहीं है। इस तरह का ज्ञान उन्हें नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया है और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इस माननीय सदन में यदि इनको कोई भी बात रखनी है तो वह बेबुनियाद नहीं होनी चाहिए। यदि आरोप लगाना है तो उनको सिद्ध भी करना पड़ेगा।

(3.01 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक पांच मिनट के लिए स्थगित की गई।)

(3.14 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक श्री संजय रत्न, माननीय सभापति की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा हो रही है लेकिन इसमें सरकार गम्भीर नहीं है। मान्य सदन में न तो माननीय मुख्य मंत्री, न ही माननीय उप मुख्य मंत्री उपस्थित हैं बल्कि तीन मंत्रियों को छोड़कर बाकी मंत्री भी उपस्थित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मंत्री द्वारा पिछले कल और आज भी सेना के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं जिन्हें सदन की कार्यवाही से तुरन्त हटाया जाए और इसके लिए माननीय राजस्व मंत्री माफी मांगे।

इस पर स्पष्टीकरण देते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि माननीय राजस्व मंत्री ने सेना के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है केवल राफेल की खरीद के संबंध में व्यय की गई राशि के बारे में पासिंग रेफरेंस में बोला है।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने भी उक्त विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले कल माननीय राजस्व मंत्री ने जो कुछ बोला है वह मीडिया में सबने सुना है। उन सैनिकों ने भी सुना है जो बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं। उन परिवारों ने भी सुना है जिनके सदस्य चाइना या ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे, उन पर ऐसी बातें सुनकर क्या गुजरती होगी। इसलिए ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाए और साथ ही माननीय राजस्व मंत्री की जो स्टेटमैंट पब्लिक डोमेन में गई है उसके लिए वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।

अध्यक्षपीठ द्वारा व्यवस्था

"मेरा पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि नियम-67 में जिस विषय पर चर्चा लगाई गई है वे केवल मात्र उस पर चर्चा करें। अगर कोई भी आपत्तिजनक शब्द आज या पिछले कल की कार्यवाही में सेना के बारे में पाया जाएगा तो उसे एक्सपंज कर दिया जाएगा।

हाउस एडजॉर्न होने के बाद सदन की कार्यवाही देखी जाएगी और इसके ऑडियो और वीडियो दोनों सुने जाएंगे। यदि उसमें ऐसा कुछ पाया जाएगा तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा।"

6. डॉ0 जनक राज, माननीय सदस्य
7. श्री सुदर्शन सिंह बबलू, माननीय सदस्य

(4.22 बजे अपराह्न श्री आशीष बुटेल, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

8. श्री लोकेन्दर कुमार, माननीय सदस्य
9. श्री किशोरी लाल, माननीय सदस्य

(4.42 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

5.00 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की गई।

*****